दिनांक 15.12.2025
प्रेस विज्ञप्ति 29/2025

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

जनपद सम्भल/थाना बनियाठेर

- **पुलिस कार्यवाही में 50 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **01 मोटर साइकिल (बिना नम्बर)**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद**

दिनॉकः 15.12.2025 को थाना बनियाठेर, स्वाट व सर्विलांस की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर ग्राम नेहटा का जंगल में बदमाश की घेराबन्दी की गयी तो बदमाश ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी, जिसमें एक आरक्षी घायल हो गये। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में पुरस्कार घोषित अभियुक्त इमरान घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से 01 मोटर साइकिल (बिना नम्बर), 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद हुये। घायलों को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त जनपद मुरादाबाद से वॉछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 50 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना बनियाठेर पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–इमरान निवासी ईदगाह अलीगंज थाना अलीगंज जनपद बरेली।

बरामदगी

1–01 मोटर साइकिल (बिना नम्बर)।

2–01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

कमिश्नरेट आगरा/थाना न्यू आगरा

• चोरी की घटना का अनावरण

• 01 अभियुक्त गिरफ्तार

• चोरी के 01 लाख 02 हजार रूपये नगद

दिनांक 14.12.2025 को थाना न्यू आगरा पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर खासपुर चौराहा से बसेरा रोड के पास से अभियुक्त प्रभूदयाल उर्फ तंगा को गिरफ्तार कर चोरी की घटना का अनावरण किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से चोरी के 01 लाख 02 हजार रूपये नगद हुए।

उल्लेखनीय है कि थाना न्यू आगरा क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात चोरो द्वारा चोरी की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना न्यू आगरा पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्त से बरामद रूपया चोरी की घटना से सम्बन्धित है। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध कमिश्नरेट आगरा के विभिन्न थानो में चोरी, आर्म्स एक्ट, गैंगेस्टर एक्ट आदि के 15 अभियोग पंजीकृत है।

इस सम्बन्ध में थाना न्यू आगरा पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–प्रभूदयाल उर्फ तंगा निवासी रूनकता सनी देव थाना सिकन्दरा कमिश्नरेट आगरा।

बरामदगी

1–चोरी के 01 लाख 02 हजार रूपये नगद।

जनपद सहारनपुर/थाना नागल

• 04 अभियुक्त गिरफ्तार

• लगभग 03 लाख 50 हजार रूपये कीमत के 99 पेटी अवैध शराब

• 02 चार पहिया वाहन बरामद

दिनांक 15.12.2025 को थाना नागल पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर ग्राम पाण्डौली रोड़ रेलवे पुल के पास से 04 अभियुक्तों 1–यरून 2–गौतम 3–सन्दीप 4–विकास को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लगभग 03 लाख 50 हजार रूपये कीमत के 99 पेटी अवैध शराब, 02 चार पहिया वाहन बरामद हुए।

इस सम्बन्ध में थाना नागल पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—यरून निवासी ग्राम बांद थाना इसराना जनपद पानीपत हरियाणा।

2—गौतम निवासी वी 118/2 ओल्ड नागल दिल्ली कैन्ट।

3—सन्दीप निवासी ग्राम खेरावड थाना भावानी खेडा जनपद भिवानी हरियाणा।

4—विकास निवासी रिठाल थाना सदर रोहतक जनपद रोहकर हरियाणा।

बरामदगी

1—लगभग 03 लाख 50 हजार रूपये कीमत के 99 पेटी अवैध शराब।

2—02 चार पहिया वाहन।

जनपद सुलतानपुर/थाना लम्भुआ

- **03 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **03 लाख 25 हजार रूपये नगद**
- **33 किलो 160 ग्राम अवैध गांजा**
- **03 मोबाइल फोन**
- **02 चार पहिया वाहन आदि बरामद**

दिनांक 15.12.2025 को थाना लम्भुआ पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर 03 अभियुक्तों 1—अमरदेव 2—धर्मेन्द्र 3—अभियुक्ता को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से 03 लाख 25 हजार रूपये नगद, 33 किलो 160 ग्राम अवैध गांजा, 03 मोबाइल फोन, 02 चार पहिया वाहन आदि बरामद हुए।

इस सम्बन्ध में थाना लम्भुआ पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—अमरदेव निवासी ग्राम सरायमकरकोला थाना लम्भुआ जनपद सुलतानपुर।

2—धर्मेन्द्र निवासी ग्राम अर्जुनपुर थाना लम्भुआ जनपद सुलतानपुर।

3—अभियुक्ता।

बरामदगी

1–03 लाख 25 हजार रूपये नगद।

2–33 किलो 160 ग्राम अवैध गांजा।

3–03 मोबाइल फोन।

4–02 चार पहिया वाहन आदि।

- **कमिश्नरेट वाराणसी/थाना लंका (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 01 लाख 23 हजार 500 रूपये अर्थदण्ड)**

कमिश्नरेट वाराणसी पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय वाराणसी द्वारा थाना लंका पर पंजीकृत अभियोग में धारा 323/342/376/406/420/467/468/504/506 के अन्तर्गत अभियुक्त विशाल को आजीवन कारावास व 01 लाख 23 हजार 500 रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **जनपद बांदा/थाना बबेरू (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 05 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद बांदा पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद बांदा द्वारा थाना बबेरू पर पंजीकृत अभियोग में धारा 6 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त हुकुमचन्द्र को 20 वर्ष के कठोर कारावास व 05 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **जनपद सम्भल/थाना हयातनगर (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 10 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद सम्भल पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद सम्भल द्वारा थाना हयातनगर पर पंजीकृत अभियोग में धारा 376(2) भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त पप्पू को 10 वर्ष के कठोर कारावास व 10 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।